

श्रीमान् सम्मानित सदस्य महादय, राजस्व मन्डल ग्वा लियर म०प्र०


68

कैम्प रीवा म०प्र०

R - 1441 - IV / 08

निगरानी प्रकरण क्र०

/08



1- श्रीमती कलावती तनयरामचन्द्र ब्रा० निवासी ग्रामउरुआ, तहसील

मउरुगंज, जिला रीवा म०प्र०

2- श्रीमतीरामकली पत्नी प्रेमलाल ब्रा० निवासी ग्राम खीरी, तहसील

मउरुगंज, जिलारीवा म०प्र० ----- निगरानीकतगिण

कनाम

1- चन्द्रशेखर प्रसाद तनय हरनारायण

2- रामेश्वर प्रसाद तनय हरनारायण

3- त्रिवेन्कम प्रसाद तनय चन्द्रमान राम

4- मुसो जयमन्ती पत्नी चन्द्रमान राम अत सभी निवासीगण

ग्राम उरुआ, तहसील मउरुगंज, जिलारीवाम०प्र० ----- प्रत्यधीगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान् अपर आयुक्त

महादय रीवा संभाग रीवा जरिये प्रकरण क्रमांक

444 अपील 07-08 दिनांक 26-9-08

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराखस्व संहितास

1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एक प्रक्रिया के विपरीत होनेसे निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का परिशीलन कियेवगेर

-2

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

R 144-IV/08 शीवा
बलावती / चरफेख

15-9-15.

- प्रकार उलुत।

- भावेरक व उसके अधिवक्ता को गीत
बाए प्रकार लगलशि जिई किन्तु वडकागात
दस पेक्षिजे से सूचोपरात उपस्थित
नही हो रहा है जिससे एसा प्रतीत होत
- है कि वड भागे उपकरण नष्ट चलागा
- पाहता है।

- अंत. क. ७. करालस खरिता को धारा.
35(2) के तहत उपकरण कसत पैरकी
में रवाबिद किया जाता है।

- उपकरण पंजी से रवाबिद होकर १.१.१. हो।

सदस्य

M